भाग तीन: खण्ड सात

वन्य जीव विनिर्दिष्ट-पादप-स्टाक घोषणा केन्द्रीय नियम 1995

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना क्र. सा. का. नि. 350 **(अ) दिनांक** 7 **अप्रैल**, 1995 **भारत सरकार का राजपत्र (आसाधरण) भाग** 2, **खण्ड** 3 (i) **दिनारंक** 18-4-95 **पृष्ठ** 5 **पर प्रकाशित।**

केन्द्रीय सरकार, **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम**, 1972 (1972 **का** 53) **की धारा** 17-**ङ साथ पठित धारा** 63 **के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**, **निम्नलिखित नियम बनाती है**; **अर्थात्:**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (**1) **इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य जीव (विनिर्दिष्ट पादप स्टाक घोषणा) केन्द्रीय नियम**, 1995 **है**,

(2) **ये नियम वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम**, 1972 **के अध्याय** 3-**क के उपबन्धों के प्रारम्भ तारीख से प्रवृत्त होंगे।**